

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-८डी०(बजट-आवंटन-२२२५) ११-०३/२०२६ ८६

प्रेषक,
निदेशक।

सेवा में,
अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,
पटना।

पटना, दिनांक-२५/०७/२०२६

विषय: वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग मुख्यालय एवं निदेशालय के संधारणार्थ अगले आठ माह के लिए वेतनादि ईकाई मदों में कुल ₹३३२.०० लाख (तीन करोड़ बत्तीस लाख ₹०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के तहत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग मुख्यालय एवं निदेशालय के स्थायी पदों के संधारणार्थ पूर्व में विभागीय आवंटनादेश संख्या-०१ दिनांक ०२.०४.२०२६, आवंटनादेश संख्या-७१ दिनांक २२.०६.२०२६ एवं आवंटनादेश संख्या-७४ दिनांक ०७.०७.२०२६ के द्वारा आवंटन दिया गया था। वित्त विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-३८० दिनांक-२०.०४.२०२६ के द्वारा वेतनादि मदों में शत-प्रतिशत शिथिलिकरण के उपरांत वित्तीय वर्ष २०२६-२७ के लिए मुख्यालय एवं निदेशालय के स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतनादि मदों में अगले आठ माह के लिए निम्न प्रकार संलग्न विवरणी के अनुसार कुल कुल ₹३३२.०० लाख (तीन करोड़ बत्तीस लाख ₹०) मात्र की अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है।

२. आवंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में मांग संख्या-४४ के मुख्य शीर्ष-मुख्य शीर्ष-२२२५-अनु० जातियों, अनु० जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-०१-अनुसूचित जातियों का कल्याण-००१ निदेशन और प्रशासन-०००१-निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक ईकाईयों- ०००१.०१०१-वेतन, ०००१.०१०३-जीवन यापन भत्ता, ०००१.०१०४-मकान किराया भत्ता, ०००१.०१०५-परिवहन भत्ता, ०००१.०१०६-चिकित्सा भत्ता, ०००१.०१०७-अन्य भत्ता, मांग संख्या-४४, विपत्र कोड संख्या ४४-२२२५०१००१०००१ के उचित ईकाईयों के अन्तर्गत विकलनीय है।

३- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

४- वित्त विभाग के पत्रांक-२५६१ दिनांक-१७/०४/९८ एवं ३१४/वि० दिनांक ०१.०४.२०२६ तथा राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्र/परिपत्रों के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है।

५- राशि की नियमानुसार निकासी एवं समुचित उपयोग का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पर होगी।

६- प्रत्येक माह व्यय विवरणी भेजी जाय।

विश्वासभाजन,

निदेशक।

ज्ञापांक- ८डी०(बजट-आवंटन-२२२५) ११-०३/२०२६ ८६ पटना,

दिनांक-२५/०७/२०२६

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, सिंचाई भवन, पटना / वित्त विभाग, बजट शाखा/सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक (मु०)/सचिव कोषांग, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति (मुख्यालय)/प्रशाखा पदाधिकारी, ०२डी०/प्रशाखा पदाधिकारी, ७जी०(लेखा शाखा), अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/वित्त विभाग, बजट शाखा/आई०टी० मैनेजर/अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक।

ज्ञापांक- 8डी0(बजट-आबंटन-2225) 11-03/2026 86

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक-24/07/2026

निदेशक।

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग के मुख्यालय एवं निदेशालय अन्तर्गत स्थायी राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के संधारणार्थ वेतनादि मदों में अगले आठ माह के लिए अतिरिक्त आवंटित राशि:- (राशि रुपये में)

क्रमांक	ईकाई मद	अतिरिक्त आवंटित राशि
1	2	3
1	0001 0101-वेतन	1,70,00,000 /-
2	0001 0103-जीवन यापन भत्ता	1,10,50,000 /-
3	0001 0104-मकान किराया भत्ता	34,00,000 /-
4	0001 0105-परिवहन भत्ता	14,00,000 /-
5	0001 0106-चिकित्सा भत्ता	3,10,000 /-
6	0107-अन्य भत्ता	40,000 /-
	योग (वेतन)	3,32,00,000 /-

कुल राशि(तीन करोड़ बत्तीस लाख रू०)मात्र

निदेशक।